



बिहार सरकार

GOVERNMENT OF BIHAR

17-5

प्रपत्र - 1

(देखें नियम-4 का उप नियम-1)

उदघोषणा का प्रपत्र

सहरसा जिला के अंचल सत्तर कटैया 38 राजस्व ग्रामों के सभी भू-धारियों/लोक एवं सरकारी जमीन के अभिरक्षक सहित भूमि में हित रखने वाले सभी व्यक्तियों को एतद् द्वारा सूचित किया जाता है कि अधोहस्ताक्षरी द्वारा प्रतिनियुक्त अथवा प्राधिकृत कोई व्यक्ति ग्राम की सीमा एवं इसके भू-खण्डों के सीमांकन या पहचान के लिए भू-खण्ड में प्रवेश कर सकते हैं। आपको निदेशित किया जाता है कि सर्वेक्षण के उद्देश्य से भू-खण्डों की पैमाईश/जाँच-पड़ताल करने तथा वृक्षों, जंगलों, खड़ी फसलों या ऐसी अन्य बाधाओं जैसा भी आवश्यक हो, को हटाने अथवा काटने में उन्हें सहयोग करें एवं उन्हें कर्तव्यों के निर्वहन में किसी प्रकार का बाधा/अड़चन उत्पन्न न करें।

आपको यह भी निदेश दिया जाता है कि अपने भू-खण्डों की समीओं को भू-खण्डों के सभी मोड़ पर मिट्टी का स्तम्भ दे कर उसे सीमांकित कर लें।

तिथि -

बन्दोवस्त पदाधिकारी,

सहरसा।

~~उप-बन्दोवस्त पदाधिकारी~~
कर

Attended
Am. B. K. 08/2/16

सहायक बन्दोवस्त पदाधिकारी
मुख्यालय-सहरसा